न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **2864 सन् 2026**,
ममता उर्फ अनीता पत्नी अमित, निवासी ग्राम राऊपुर, थाना पिसावा, जनपद अलीगढ़, हाल निवासी राजू मोहन के मकान में किरायेदार, मौहल्ला भीमा नगर, निकट सूत मिल चौराहा, जनपद अलीगढ़।

.....आवेदिका/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः—94 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः—103(1),317(2),331(3),305(क) बी.एन.एस.
थानाः—खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

01. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

02. आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यत : कथन किया है कि आवेदिका/अभियुक्त निर्दोष है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है, अर्थात आवेदिका/अभियुक्त नामजद मुल्जिम नही है। आवेदिका/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध कदापि कारित नही किया गया है बल्कि आवेदिका/ अभियुक्त को उक्त अपराध में वादी द्वारा बसाज पुलिस झूठा नामजद कराया गया है। आवेदिका/अभियुक्त के विरूद्ध कथित घटना का कोई स्वतंत्र अथवा निष्पक्ष गवाह मौजूद नही है। कथित घटना दिनाँक 11.04.2026 को समय 00.00 बजे की बतायी जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 12.04.2026 को समय 11.44 बजे कथित घटना के एक दिन बाद काफी बड़ी देरी से दर्ज करायी गयी है जबकि कथित घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 10 किलोमीटर पूर्व की ओर है। आवेदिका/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में मौके से गिरफतार नही किया गया है। आवेदिका/अभियुक्त से उपरोक्त अपराध में घटना से सम्बन्धित कोई वस्तु अथवा चोरी शुदा रूपये व जेवरात बरामद नही किया गया है और यदि दर्शाया गया है तो है फर्जी है। आवेदिका/अभियुक्त दिनाँक 28.04.2026 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। आवेदिका/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास किसी प्रकार का नही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

04. संक्षेप में प्राथमिकी के कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सन्तोष कुमार पुत्र लीला सिंह, निवासी ग्राम सैन्डा फरीदपुर, खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर ने एक तहरीर थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की दी कि कल दिनाँक 11.04.2026 समय करीब दोपहर लगभग तीन बजे वह घर से खेतों पर गया था। घर पर अकेली उसकी पत्नी श्रीमती विमला देवी थी क्योंकि दोनों बेटे बाहर नौकरी करते है। उसके घर के दोनों तरफ रास्ते है इसलिए दरवाजे दोनों तरफ कर रखे है। लगभग शाम 4 बजे के करीब उसे गांव से फोन आया कि चाचा जी तुरन्त घर आओ चाची की हत्या किसी ने कर दी है। वह तुरन्त घर आया तो गांव में घर पर पुलिस व गांव के बहत से लोग आ गये थे। उसकी पत्पनी चारपाई पर मृत अवस्था में थी और उसका बायां पैर तौलिया से बंधा था तथा गर्दन में रस्सी के कई फँदे लगाकर चारपाई से बंधी हुई है। उसकी पत्नी बीमार रहती है, घर में बक्से का कुन्दा उखाड़कर उसमें रखे लगभग 18,000/—रूपये तथा एक पर्स में रखे लगभग 2000/—रूपये भी ले गये है। उनके पैरों की पाजेब व कानों के साने के कुन्डल जो लगभग आधा तोले के थे, गायब थे। घटना से एक दिन पहले एक महिला सामान बेचती हुई आयी थी तथा उसकी पत्नी के पैर देखकर कहा था कि कल आंटी आपको बहुत अच्छा तेल लाकर दूंगी। कल दोपहर खेतों पर घर से जा रहा था तो वही औरत घर से थोडी दूरी पर चौक में बैठी देखी थी। उसके घर से जाने के बाद एक डिलीवरी वाला उसकी बेटी के आर्डर पर घर जब इलेक्ट्रिक चूल्हा देने आया था तो आवाज देने पर जब कोई नही बोला तो उसने दरवाजे को जैसे ही धक्का दिया तो चारपाई पर उसकी पत्नी को देखकर गाली में लोगों को बताया था। वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रचलित की गयी।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका/ अभियुक्ता की अपराध में सक्रिय भूमिका है। आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

07. प्रपत्रों का अवलोकन किया।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.01 16:03:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

08. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/ अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसके द्वारा मृतका गला दबाकर तथा रस्सी से फंदा डालकर गला कसकर मृतका की हत्या कारित कर दी गयी तथा आवेदिका/ अभियुक्ता के कब्जे से मृतका के एक जोड़ी सोने के कुण्डल, पाजेब व 6200 रूपये बरामद हुए।

अभियोजन के अनुसार अब तक की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदिका/ अभियुक्ता सेनेटरी पैड बेचने के लिये फेरी का कार्य करती थी। उसे पता चला कि मृतका के घर में वादी तथा उसकी पत्नी ही रहते हैं, जो बुजुर्ग हैं। आवेदिका/ अभियुक्ता ने घटना से पूर्व दिनॉक–10.4.2026 को मृतका के पास बैठकर उसके घर की सारी बात की जानकारी ले ली तथा चोरी करने का इरादा बना लिया। इसी आशय से दिनॉक–11.4.2026 को दोपहर 3.00 बजे के लगभग जब मृतका अकेली थी तथा घर के बरामदें में चारपाई पर लेटी थी, आवेदिका/ अभियुक्ता घर में घुस गयी और बक्से का कुण्डा कैंची से उखाड़कर उसमें रखे चॉदी की पाजेब व दस हजार रूपये निकाल रही थी तभी मृतका जाग गयी और आवेदिका/ अभियुक्ता को कमरे से निकलते हुए देख लिया। जिस पर आवेदिका/ अभियुक्ता को लगा कि मृतका शोर मचा देगी, जिसके कारण आवेदिका/ अभियुक्ता ने मृतका का गला जोर से दबा दिया, जिसके कारण मृतका मूर्च्छित हो गयी। आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा उसके बाद नायलोन की रस्सी से लपेटकर फंदा मृतका के गले में कस दिया तथा चिल्लाने से रोकने के लिये आवेदिका/ अभियुक्ता ने मृतका के मुॅह पर मुक्का मार दिया, जिससे मृतका का दॉत भी टूट गया तथा मृतका की मृत्यु हो गयी। इसके बाद आवेदिका/ अभियुक्ता ने मृतका के कानों के सोने के कुण्डल निकाल लिये और बाद में वहॉ से चली गयी। आवेदिका/ अभियुक्ता को गिरफतार किये जाने पर उसके कब्जे से एक जोड़ी सोने के कुण्डल, एक जोड़ी चॉदी की पाजेब व 6200 रूपये बरामद हुए हैं, जो इस घटना से सम्बन्धित है।

मृतका विमला देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे निम्न चोटें आना दर्शित किया गया हैः–

Injury No.1, CONTUSED SWELLING OF SIZE 03 CM x 03 CM PRESENT ON LATERAL ASPECT OF RIGHT SIDE FOREHEAD, 01 CM ABOVE FROM RIGHT EYEBROW.

Injury No.2, CONTUSED ABRASION OF SIZE 05 CM x 2.5 CM PRESENT ON RIGHT CHEEK, 01 CM BELOW AND LATERAL TO RIGHT EYE.

Injury No.3, LIGATURE MARK PRESENT ALL AROUND THE NECK SIZE 27 CM X 3.5 CM. MARK PRESENT AT 05 CM BELOW FROM BOTH EARS AND 5.5 CM BELOW FROM CHIN WITHOUT ANY GAP. MARK HORIZONTALLY PRESENT BELOW THYROID CARTILAGE. ON EXPLORATION OF NECK ECCHYMOSIS SEEN AND RIGHT CORNUA WITH HYOID BONE FOUND FRACTURED.

मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व Strangulation के कारण स्वांसरोधन होना दर्शित किया गया है।

आवेदिका/ अभियुक्ता की अपराध में प्रथम सक्रिय भूमिका दर्शित है। आवेदिका/ अभियुक्ता पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/ अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/ अभियुक्ता ममता उर्फ अनीता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय सिंह–।)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 01.06.2026
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015
शिवम गौड़ पी.ए.